कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी. नगर, भोपाल

दूरभाष: ०७५५-२६७४३१८, २६७४३३७ फैक्स: ०७५५-२६६६३१५

E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/संरक्षण/१०८/ 7077 भोपाल, दिनांक: 24.9.2021

प्रति,

१. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त
२. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिज़र्व
३. समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्‌यान
४. समस्त क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम
५. समस्त वनमंडलाधिकारी, सामान्य/वन्यप्राणी वनमंडल
मध्य प्रदेश.

विषय:- **अधिसूचना के प्रकाशन बाबत।**

संदर्भ:- म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक १५-१५/२०२०/१०-२ दिनांक १४/०९/२०२१.

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से म.प्र. शासन, वन विभाग द्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ की धारा ६४ (१) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से मृत पाये गये वन्यप्राणियों के संबंध में दर्ज प्रकरण जिसमें अज्ञात अपराधी का पता लगा पाना संभव न हो या प्रकरणों की जांच में कोई अपराध कारित न होना पाया जाये तो ऐसे प्रकरणों को नस्तीबद्ध करने हेतु संदर्भित पत्र में उल्लेखित अधिकारियों को उनके प्रभार क्षेत्र में अधिकृत किया गया है। अत: शासन के संदर्भित पत्रानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

24/09/2021

(आलोक कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/संरक्षण/१०८/ 7078 भोपाल, दिनांक: 24.9.2021

प्रतिलिपि:-

१. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्य प्रदेश।
२. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, पंचानन भवन, भोपाल।
३. प्रभारी, राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्य प्रदेश, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 14/9/2021

क्रमांक/एफ 15-15/2021/10-2:: राज्य शासन एतद्द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 64 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से मृत पाये गये वन्यप्राणियों के संबंध में दर्ज प्रकरण जिसमें अज्ञात अपराधी का पता लगा पाना संभव न हो या प्रकरणों की जांच में कोई अपराध कारित न होना पाया जाये तो ऐसे प्रकरणों को नस्तीबद्ध करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को उनके प्रभार क्षेत्र में अधिकृत करता है:-

1. क्षेत्रीय वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी
2. क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
3. संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
4. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

14/9/2021

(पदमाप्रिया बालाकृष्णन)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वन विभाग